न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 33/2012

1 विजेन्द्र पुत्र हवासिंह आयु 34 साल जाति जाट निवासी कुशलपुरा उप तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 सुनिल पुत्र हवासिंह।
2 हवासिंह पुत्र सुरजाराम समस्त जाति जाट निवासीगण कुशलपुरा उप तहसील सुरजगढ़ तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
3 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार चिड़ावा जिला झुंझुनू।
4 उप पंजियक अधिकारी नायब तहसीलदार सुरजगढ़ तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ आदेश दिनांक 10.04.12 बअदालत उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा बमुकदमा विजेन्द्र बनाम सुनिल वगैरह मुकदमा नम्बर 168/2011 प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री ओमप्रकाश डांगी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—06.08.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा संख्या 168/2011 में पारित निर्णय दिनांक 10.04.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष विवादित जमीन के सम्बंध में एक वाद बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जिसके साथ अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि रेस्पोडेंट नम्बर 2 दौराने बाद जमीन जैर बहस को विक्रय नही करे रहन व गिरवी नही रखे, पेड़ नही काटे एवं किस्म जमीन परिवर्तित नही करे एवं अपीलांट के हक हिस्से की जमीन के उपयोग उपभोग मे कोई बाधा कारित नही करे। उक्त आशय के प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को अदालत मातहत ने खारिज कर दिया जिसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो घटको की विवेचना नही की है। विवादित भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की संयुक्त आय से क्रय की गई है। रेस्पोडेंट संख्या 02 कर्ता खानदान होने से विक्रय पत्र उनके नाम करवाया गया है। विवादित भूमि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की पैतृक सम्पति है। अत अपील स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि रेस्पोडेंट संख्या 02 की पंजिकृत विक्रय पत्र से खरीदी गई कब्जे व खातेदारी की भूमि है। विवादित भूमि पैतृक सम्पति नही है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 1993 पेज 343 एवं आर.आर.डी 1978 पेज 375 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर विचारण न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताते हुये अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि रेस्पोडेंट संख्या 02 की पंजिकृत विक्रय पत्र से खरीदी गई कब्जे व खातेदारी की भूमि है। विवादित भूमि पैतृक सम्पति नही है। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर अपीलांट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे विवादित भूमि पैतृक होना, विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त होना साबित होता हों। ऐसी स्थिति में पृथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु अपीलांट के पक्ष में साबित नही होता है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06.08.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर